55

(11)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्षः मनोज गोयल,**
**प्रशा0 सदस्य.**

प्रकरण क्रमांक निग0 715–एक / 13 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–12 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 30 / 2011–12 / अपील.

---

1– शिवनारायण पिता भेरूलाल जी
निवासी ग्राम कटलार, तहसील व जिला मंदसौर

2– श्रीमती कलावती बाई पति शिवनारायण ब्राहम्ण
निवासी ग्राम कटलार जिला मंदसौर ——— आवेदकगण

**विरूद्ध**

1– मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, जिला मंदसौर म.प्र. ——— अनावेदक

---

श्री संदीप मेहता, अधिवक्ता, आवेदकगण ।

**:: आ दे श ::**

**( आज दिनांक २/१/१५ को पारित )**

यह निगरानी आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 30 / 2011–12 / अपील में पारित आदेश दिनांक 17–12–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में आवेदक के अनुसार इस प्रकार हैं कि आवेदक क्र. 1 की कृषि भूमि सर्वे नं. 13 तथा आवेदक क्र. 2 की कृषि भूमि सर्वे नं. 161 ग्राम पीपलखेड़ी जिला मंदसौर में स्थित है । उक्त भूमियों में नाला एवं खाई होने से उक्त भूमि के शासकीय भूमि सर्वे नं. 331 स्थित ग्राम चौसला, तहसील दलौता से विनिमय हेतु आवेदन कलेक्टर न्यायालय में दिया गया । कलेक्टर ने उक्त आवेदन

पत्र जांच हेतु तहसीलदार को भेजा । तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 20.10.11 द्वारा आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत विनिमय व्यवस्थापन की जांच कर ठहराव आवेदकों के पक्ष में दिया गया था पटवारी, तहसीलदार व अनुविभागीय अधिकारी ने भी उपरोक्त भूमि के विनिमय की अनुशंसा की गई है । उक्त प्रतिवेदनों पर कोई विचार अधीनस्थ न्यायालयों ने नीं किया है ।

यह तर्क दिया गया कि आयुक्त द्वारा म0प्र शासन राजस्व विभाग के जिस परिपत्र का उल्लेख किया गया है किंतु आवेदकों द्वारा जो लिखित बस पेश की गई है उस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदकों का आवेदन पत्र काफी लंबे समय पूर्व का है । राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4 कमांक 3 की कंडिका 20 में जो संशोधन किया गया है वह दिनांक 12–9–11 से प्रभावशील है उसे भूतलक्षीय प्रभाव से लागू नहीं किया गया है इस कारण उक्त संशोधन आवेदक के प्रकरण में लागू नहीं होता है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ नयालयों के आदेशों को निरस्त कर आवेदकों का व्यवस्थापन व विनिमय हेत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तकों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । प्रकरण में कलेक्टर द्वारा दिनांक 20.10.11 को आदेश पारित किया गया है जो राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 4 कमांक 3 की कंडिका 20 में हुए संशोधन दिनांक 12–9–11 के बाद की तिथि है । राजस्व पुस्तक परिपत्र में हुए संशोधन की तिथि के बाद से उन प्रकरणों में भी यह संशोधन लागू हागा जिनमें आवेदन चाहे पहले दे दिया गया हो लेकिन आदेश बाद में हुए । किसी भी वैधानिक संशोधन के बाद की तिथि में पारित किए जाने वाले आदेश उक्त संशोधन को ध्यान में रखकर ही किए जा सकते

हैं । जब तक कि उक्त संशोधन में कोई अन्यथा प्राावधान न हो । अतः इस संबंध में आवेदक की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है । प्रकरण में यह विवादित नहीं है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र के संशोधन दिनांक 12–9–11 के प्रावधानों के तहत आवेदक का आवेदन नहीं आता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश पूरी तरह वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत पारित किए गए हैं जिनमें फेरबदल का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

( मनोज गोयल )
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर